संख्या-53/2016/1072/22-2-2015-17(205)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 मई, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी कमल किशोर पुत्र श्री महादेव, निवासी जनपद-इलाहाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-48569/पर-2(एम0 06-08-2014) दिनांक-01-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कमल किशोर पुत्र श्री महादेव, 217ए नकास कोना,, थाना-शाहगंज, जनपद-इलाहाबाद का निवासी है। बन्दी अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर नाराज रहता था, बन्दी की पत्नी दिनांक 08.05.1995 को मोहल्ले में शादी में दुल्हन को सजाने गयी थी। बन्दी द्वारा जल्दी घर चलने को कहने पर पत्नी द्वारा काम खत्म करके चलने को कहे जाने पर बन्दी ने नाराज होकर गालियां देते हुए बच्चों को मार डालने की धमकी दी, जब दोनो रिक्शे से रात्रि लगभग 11:45 बजे घर पहुंचे उसी समय बन्दी ने दोनो बच्चों को उठाकर छत से नीचे फेंक दिया, जिससे दोनों बच्चों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-9/1996 में भा0द0वि0 की धारा- 302 के अन्तर्गत मा0 प्रथमअपर जिला सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.09.1999 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.09.2015 तक 20 वर्ष 04 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 08 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमल किशोर पुत्र श्री महादेव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमल किशोर (बन्दी संख्या-10712/99) पुत्र श्री महादेव, निवासी जनपद-इलाहाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-1072/(1)/22-2-2015 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in